न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

तारीख [illegible] 19.05.2025

सिविल प्रकरण संख्या:– 08 2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

आवेदक

बनाम

1. हु[illegible]न्द राठोर पुत्र श्री [illegible] राठोर (मौके [illegible] प्रोपराईटर) [illegible] जनरल स्टोर मैन मार्केट, बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार [illegible] निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v) / 51 एफएसएएस एक्ट 2006 एव नियम 2011

दिनांक 16.07.2025

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधि[illegible] सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] श्री वेद प्रकाश [illegible] खाद्य सुरक्षा [illegible] सवाई माधोपुर द्वारा [illegible] प्राधिकृत खाद्य [illegible] अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की [illegible] 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर [illegible] है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा [illegible] जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध [illegible] 21.10.2024 को 02.00 पी.एम. पर [illegible] युवराज जनरल स्टोर, मैन मार्केट, बहरावण्डा खुर्द, खण्डार सवाई माधोपुर पर पहुचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा / रजिस्ट्रेशन पत्र मागा जिस पर उन्होंने खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने आम जनता को विक्रय हेतु Daniya Powder (Sunder Brand) 500 ग्राम की पैकिंग म रखा हुआ था। Daniya Powder (Sunder Brand) 500 ग्राम में मिलावट का अदेशा होने पर Daniya Powder (Sunder Brand) 500 ग्राम की पैकिंग के 04 पोलीपैक खरीद कर उसकी कीमत 360 [illegible] रूपये विक्रेता हुकमचन्द राठोर को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान राजेन्द्र राठोर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे हुकमचन्द राठोर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स0 5ए की एक प्रति हुकमचन्द राठोर को दकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Daniya Powder (Sunder Brand) 500 ग्राम को मूल ही लेकर 04 नमूना भाग तैयार कर [illegible] तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3451 दर्ज किया [illegible] हस्ताक्षर किये एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमाक H-3451 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार कराये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छ प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर लिफाफे पर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की [illegible] सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियो को एक आउटर कवर मे [illegible] तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए 2024 1227 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सख्या एलएस / 4368 / एक्ट / 2024 / 4485 दिनाक 21.11.2024 के अनुसार विक्रेता [illegible] नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ Daniya Powder (Sunder Brand), Sub Standard प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा Sub-Standard, Daniya Powder (Sunder Brand) का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण जवाब पेश गया किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard, Daniya Powder (Sunder Brand) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से खाद्य पदार्थ Daniya Powder (Sunder Brand) [illegible] जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कारण यह प्रकरण हुआ है जिसकी [illegible] स्वीकार [illegible] आगे से बिना बिल के माल नहीं लेने एवं नहीं बेचने बाबत कथन [illegible] गया। अन्त में अभियुक्त [illegible] प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

[illegible] पक्ष की बहस सुनने [illegible] आवेदक द्वारा प्रस्तुत [illegible] निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं [illegible] पर पहुँचा [illegible] विश्लेषक [illegible] से प्राप्त जाँच [illegible] संख्या एलएस 4368 [illegible] 2024 / 4485 [illegible] 21.11.2024 के अनुसार [illegible] द्वारा वास्ते [illegible] जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Daniya Powder (Sunder Brand) [illegible] प्रकृति का होना [illegible] गया है। जोकि जाँच रिपोर्ट में प्राकृतिक [illegible] हल्दी पाये जाने के कारण [illegible] सबस्टेण्डर्ड आया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस बिल [illegible] के कारण प्रकरण [illegible] नहीं है।

[illegible] विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम [illegible] धारा 26 (2)(ii) [illegible] कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध [illegible] माना है चूंकि अभियुक्त [illegible] प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होने [illegible] आपराधिक कृत्य [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम [illegible] की धारा 51 के अन्तर्गत [illegible] शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान [illegible]

[illegible] अभियुक्त का सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ Daniya Powder (Sunder Brand) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को 15,000/- रु0 [illegible] हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाना है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो [illegible] प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति [illegible] पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested